

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)
मुख्यार पुत्र हरिसिंह जाति अहीर नि० परतापुर चक नं० 03 तह० नीमराना
बनाम

हरिसिंह पुत्र श्री चन्द्र जाति अहीर नि० परतापुर चक नं० 03 तह० नीमराना

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 जा०दी० न० 75 सन 11.03.2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>11.03.2022 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 05 जा०दी० एवं धारा 212 R.T.A.मूल अपील के साथ पेश कियां। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील के उपस्थित आये। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गयी। दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पृथम दृष्टया प्रार्थी का केस बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णाय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष होना प्रतीत होता है। अतः रेस्पोजेन्टान को अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 400 रकबा 0.07 है०,401 रकबा 0.09 है० कुल किता 02 वाके ग्राम परतापुर चक नं० 03 तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला सम्पुष्ट कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे।<u>अप्रार्थीगण/रेस्पोजेन्टान</u> जरिये नोटिस तलबाना से तलब हो। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 26.04.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उप खण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)</p>	

तारीख पुनग

पुनग या कार्यवाही गय इमिडियतस जज

100
254

गाल यह पनातली के ल वाक के वाक
 वेरा डरी सनांगे के ल वाक माका पैरती
 र डरम हाली में खारिज हो चुका है।
 अतः माका नो माका पैती व अका
 हाली में खारिज किया जाता है पना
 केवल शुगा होकर नकल संका है।
 वाक इति संलग्न के ल वाक है।

डिप्टी कमिश्नर
 (पुनग-किसतत) पुनग

उपरण्ड अधिकारी
 भीमराना (कोटपुतली-अरुण)